

लोक सभा निर्वाचन 2019

(मीडिया कोषांग)

दिनांक-29.04.2019

प्रेस विज्ञप्ति

मतदाताओं को मिलने वाले वोटर स्लिप के साथ वैध पहचान पत्र रखना अनिवार्य होगा।

जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त श्री सूरज कुमार द्वारा जानकारी दी गई कि निम्न 12 प्रकार के पहचान पत्र में किसी एक को दिखाना अनिवार्य होगा, तब ही मतदाता मतदान कर सकेंगे।

मतदान के लिए निम्न 12 प्रकार के पहचान पत्र में किसी एक को दिखाना अनिवार्य होगा, तब ही मतदाता मतदान कर सकेंगे।

1. वोटर कार्ड
2. ड्राईविंग लाइसेंस
3. राज्य/केन्द्र सरकार अथवा लोक उपक्रमों के द्वारा जारी पहचान पत्र
4. फोटोयुक्त बैंक पास बुक
5. पैन कार्ड
6. श्रम मंत्रालय द्वारा जारी किए गए स्मार्ट कार्ड
7. मनरेगा जॉब कार्ड
8. सरकार द्वारा जारी किए गए हेल्थ स्मार्ट कार्ड
9. पेंशन कार्ड
10. सांसद अथवा विधायकों को प्राप्त आधिकारिक पहचान पत्र
11. आधार कार्ड
12. पासपोर्ट

आओ मिलकर अलख जगाएँ, शत प्रतिशत मतदान कराएँ।